

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर०के० मिश्रा

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक II/निगरानी/सीहोर/भू०रा०/17/6292 विरुद्ध  
आदेश दिनांक 21-4-2010 पारित द्वारा तहसीलदार इछावर जिला सीहोर प्रकरण  
क्रमांक- 17/अ-12/2009-10.

कृषि उपज मंडी समिति इछावर  
तहसील इछावर जिला सीहोर  
द्वारा सचिव दिलीप कुमार सिंह

-----आवेदक

विरुद्ध

श्रीमती शशि सुराना पत्नी श्री कैलाश सुराना  
कृषक व निवासी ग्राम इछावर जिला सीहोर म०प्र०

-----अनावेदक

.....  
श्री बी०के० श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक  
श्री मेहरबान सिंह, अभिभाषक, अनावेदक

.....  
:: आ दे श ::

( आज दिनांक 23/7/18 को पारित )

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार इछावर जिला सीहोर के आदेश दिनांक 21-4-2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।  
2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक ने ग्राम इछावर तहसील इछावर स्थित भूमि ख०क० 1102/2/4ए 1102/1/1 एवं 1102/1 रकवा 4.41 एकड़ के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार इछावर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक द्वारा 17/अ-12/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 21-4-2010 से सीमांकन की पुष्टि की। तहसीलदार के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक ने लिखित तर्क में मुख्य रूप से तर्क अंकित किया है कि तहसीलदार के समक्ष अनावेदक ने खसरा क्रमांक 1102/2/4ए 1102/1/1 एवं 1102/1 रकवा 4.41 एकड़ भूमि को स्वयं की भूमि बतलाकर सीमांकन करा लिया है जबकि सर्वे क्रमांक 1102/1 शासकीय भूमि थी जो आवेदक कृषिक उपज मण्डी को आवंटित की गई थी। यह भी तर्क किया कि तहसीलदार के समक्ष अपूर्ण व अस्पष्ट आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें किसी भी मेढ पडौसी कृष व सर्वे नंब का विरण नहीं किया गया था। आवेदक को सूचना पत्र जारी किया गया था वह त्रुटिपूर्ण एवं अवैध है। सीमांकन प्रतिवेदन के साथ वादग्रस्त भूमि का अपूर्ण एवं अस्पष्ट नक्शा प्रस्तुत किया गया है, अपूर्ण अभिलेख नक्शे के आधारपर की गई कार्यवाही को निरस्त किया जाये। आवेदक सहित अन्य पडौसी कृषकों की उपस्थिति में सीमांकन नहीं किया गया। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि अनावेदक द्वारा स्वयं की भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। तहसीलदार द्वारा आवेदक को सूचना जारी की थी, परन्तु आवेदन सूचना प्राप्त होने पर सीमांकन के समय उपस्थित थे परन्तु पंचनामे पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया। सभी सरहदी कास्तकारों की उपस्थिति में सीमांकन किया गया था तथा स्थल पंचनामा तैयार किया है। आवेदक द्वारा सीमांकन आदेश की 7 साल बाद निगरानी प्रस्तुत की गई है। सीमांकन के पश्चात संहिता की धारा 250 की कार्यवाही भी अंतिम हो गई है। राजस्व मण्डल से 250 की कार्यवाही में अंतिम आदेश को गया है। अतः निगरानी खारिज की जाये।


5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक के आवेदन पर तहसीलदार द्वारा सीमांकन किये जाने हेतु सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख सीहोर को निर्देश दिये। सहायक अधीक्षक द्वारा आवेदक संस्था

W



को विधिवत सूचना जारी नहीं की गई। चूंकि आवेदक संस्था शासकीय उपक्रम है और उसके द्वारा वर्ष 1-1-1981 को आवंटित किया जाकर कब्जा प्राप्त किया गया था और उक्त भूमि पर कार्यालय, गोडाउन, दुकाने व कुषकों के लिए मण्डी के लिए टीनसेट तैयार किये गये थे तब ऐसी स्थिति में आवेदक संस्था की उपस्थिति में एवं उनकी आपत्तियों का निराकरण करने के उपरांत सीमांकन किया जाना चाहिए था। वर्ष 1981 से निर्मित शासकीय उपक्रम के कार्यालय पर अब इतने लम्बे अन्तराल उपरांत सीमांकन में गलत पजेशन बतलाया जाना उचित नहीं है। फील्डबुक में सर्वे नम्बर के बटाकों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। आवेदक संस्था को जारी सूचना पत्र को विधिवत तामील होना भी नहीं पाया गया है। ऐसी स्थिति में सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा की गई कार्यवाही को उचित नहीं ठहराया जा सकता। तहसीलदार द्वारा सीमांकन की पुष्टि करने के पूर्व आवेदक को बिना सुनवाई का अवसर दिये पुष्टि करने में त्रुटि की है। दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार के आदेश में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार इछावर जिला सीहोर द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 21-4-2010 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार इछावर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक संस्था सहित सभी सरहदी कास्ताकारों की उपस्थिति में विधिवत पुनः सीमांकन की कार्यवाही की जाये।

 23/7/18

(आर0 के0 मिश्रा)

सदस्य,  
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश,  
ग्वालियर,

